भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 874
04 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात

†**874. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2020-21 में जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात एक हजार मिलियन से अधिक अमरीकी डॉलर और लगभग नौ लाख मीट्रिक टन था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या निर्यात 2023-24 में पांच सौ मिलियन अमरीकी डॉलर तक कम हो गया है और 2024-25 में मात्रा घटकर तीन लाख मीट्रिक टन हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में जैविक खाद्य उत्पादों के निर्यात में इस तीव्र गिरावट के कारणों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) आने वाले वर्षों में जैविक खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात मात्रा (मीट्रिक टन) और मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर) के संदर्भ में इस प्रकार हैः

क्र.स.	**वर्ष**	**मात्रा (एमटी)**	**मूल्य (अमेरिकी डॉलर)**
1.	2020-21	888179.68	1040.95
2.	2021-22	460320.40	771.96
3.	2022-23	312800.51	708.33
4.	2023-24	261029.00	494.80
5.	2024-25	368155.04	665.97

स्रोत: राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकायों द्वारा ट्रेस नेट पर दी गई जानकारी

(ग): वैश्विक बाजार में कम मांग, वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनाव, गंतव्य देशों में अस्थायी नियामक परिवर्तन, प्रमाणन और बाजार धारणाओं में मुद्दों के कारण भारत से जैविक खाद्य निर्यात में गिरावट आई है। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) और यूरोपीय संघ (ईयू) भारत से जैविक निर्यात के प्रमुख बाजार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात के लिए, निर्यातकों को यूएसडीए-एनओपी (अमेरिकी कृषि विभाग

(यूएसडीए) राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकायों (सीबी) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और इसी तरह यूरोपीय संघ में प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात के लिए, निर्यातकों को यूरोपीय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकायों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। यूरोपीय संघ के मामले में, कुछ प्रमाणन निकायों के असूचीबद्ध होने के कारण वर्ष 2022 में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात को प्रमाणित करने वाले प्रमाणन निकायों की संख्या में गिरावट आई, जिससे प्रमाणन स्थान सीमित हो गया और हितधारकों के लिए लेनदेन लागत में वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप जैविक खाद्य निर्यात में भी गिरावट आई है।

(घ): वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) जैविक खाद्य उत्पादों के निर्यातकों सहित अपने सदस्य निर्यातकों को निम्न के संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान करता है:-

(i) निर्यात अवसंरचना का विकास
(ii) गुणवत्ता विकास
(iii) बाजार विकास

इसके अलावा, एपीडा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) कार्यान्वित्त कर रहा है। कार्यक्रम में प्रमाणन निकायों की मान्यता, जैविक उत्पादन के लिए मानक, जैविक खेती और विपणन को बढ़ावा देना आदि शामिल है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अंतर्गत, ऑपरेटरों को उत्पादन, प्रसंस्करण और व्यापार जैसे उनके प्रचालन के दायरे के अनुसार प्रमाणित किया जाता है। एपीडा देश भर में जैविक हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम और निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियाँ भी आयोजित कर रहा है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) जैसी कई पहलों और योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से जैविक खाद्य उत्पादों सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास करना चाहता है। उपरोक्त वर्णित योजनाओं के अलग-अलग घटकों के अंतर्गत , एमओएफपीआई खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना सृजन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। सृजित अवसंरचना और प्रदान की गई सहायता का उद्देश्य जैविक खाद्य उत्पादों सहित किसानों को बेहतर आय देना, रोज़गार के अवसर सृजित करना, अपव्यय कम करना, प्रसंस्करण स्तर बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात बढ़ाना है।

***